

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक-14/05/2018

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में 100 शैय्या वाले पुरुष छात्रावास भवन (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 458.00 लाख (चार करोड़ अन्तावन लाख) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में 100 शैय्या वाले पुरुष छात्रावास भवन (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 458.00 लाख (चार करोड़ अन्तावन लाख) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-2948 (भ०) अनु०, दिनांक-28/03/2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	राशि
1	Cost of Civil Works	3,38,95,292.00
2	Internal Electric Installations	35,29,669.00
3	Internal Water Supply and Sanitary Installations	28,23,735.00
4	External Service Connection	14,11,868.00
5	Overhead Tank	2,34,000.00
	SUM-	4,18,94,564.00
6	Extra for Cost Index -0.0634 times the SUM	- 26,56,115.00
	Sub Total	3,92,38,449.00
7	Contingency @1.0% upto Rs.100 lac	1,00,000.00
	@0.5% above Rs.100 lac	1,46,192.00
8	Extra for Furniture/Furnishing	62,84,185.00
	Total-	4,57,68,826.00
	Say Rs.-	458.00 Lac


- 2- इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-03-4059600510112, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष - 0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्ष में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3/भवन-55/2016 के पृष्ठ-14/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन


विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग


ज्ञापाक- टी-3/भवन-55/2016-..... 984 /प ट ना, दिनांक- 14 / 05 / 2018


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


14/5/18
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापाक- टी-3/भवन-55/2016-..... 984 /प ट ना, दिनांक- 14 / 05 / 2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/5/18
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग


07/5/18